संख्या-677/2025/4193/22-2-2023-17(83)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 27 जून,2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र श्री अमरजीत, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 के पत्र संख्या-34938/प्रो0(6)/231(मानवा दिवस,2023), दिनांक 05.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र अमरजीत, निवासी ग्राम- नया बांस, थाना-गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। सिद्धदोष बंदी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र अमरजीत द्वारा दिनांक 22.08.2003 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी की पत्नी और पुत्री को खेत में घसीटकर ले गये। कट्टा से लड़की का मुँह बंद कर सभी ने रेप करने के बाद चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-869,870/2003, भा0द0वि0 की धारा-376, (2), (जी),302/34 व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3 बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 14.09.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 02.08.2007 द्वारा निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा मे परिवर्तित किया गया एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-25.11.2019 द्वारा बंदी की अपील को निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2023 तक 20 वर्ष 03 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष, 00 माह, 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बंदी द्वारा बालिका के साथ निर्ममता पूर्वक सामूहिक बलात्कार व हत्या करने जैसा घृणित,जघन्य व सम्पूर्ण मानवता को शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा।अतएव बंदी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी0/2018, दिनांक 01.08.2018 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी0/2018, दिनांक 27.07.2021 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू पुत्र अमरजीत, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुलदीप उर्फ भोलू (बन्दी संख्या-11106) पुत्र श्री अमरजीत, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-677/2025/4193(1)/22-2-2023-17(83)/2024तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।